



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला भू-अर्जन शाखा)



आदेश

परियोजना सिलाव-गिरियक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण में कुल 09 ग्राम (खोजागाछी, गंधोपुर, घोस्तावाँ, डुमरी, बड़ाकर, मलिकपुर, बेलौर, धरमपुरा एवं मितमों) में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। बिहार भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के तहत प्रशासक-सह-अपर समाहर्ता, नालन्दा के पत्रांक 35/रा0, दिनांक 09.01.2018 द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार प्राप्त हुआ है। जिसे प्रशासन द्वारा धारा-17 की उपधारा 6 के अधीन प्रस्तुत प्रारूप योजना का पुनर्विलोकन किया गया।

प्रशासक द्वारा प्रस्तुत प्रारूप योजना को अनुशंसा के साथ आयुक्त, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन, पटना को भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

समाहर्ता,
नालन्दा।

ज्ञापांक- 69 दिनांक- 20/1/2018

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, नालन्दा को निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- प्रशासक-सह-अपर समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता,
नालन्दा।